विशेष प्रकाशन सं. 90
ISSN : 0972-2351

मात्स्यिकी और जलकृषि में जीविकोपार्जन मसले

भाकृ अनुप
ICAR

केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान
(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)
कोचीन - 682 018

वेरावल के प्रवासी मछुआरों की आजीविका - एक मूल्यांकन

के. वी. सोमशेखरन नायर, पी. के. अशोकन और कमलेश एन.

सी एम एफ़ आर आइ का वेरावल क्षेत्रीय केन्द्र, वेरावल - 362 265, गुजरात.

कमज़ोर मत्स्यन मौसमों के दौरान आजीविका और रोज़गार के लिए प्रवास दुनिया के कई भागों के समुद्री मछुआ द्वारा स्वीकृत तरीका है।

कोलच्चल, मट्टम जैसे क्षेत्रों के मछुए मानसून के दौरान केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में प्रवास करते हैं। पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों को वन क्षेत्र के रूप में घोषित करने की वज़ह से मत्स्यन में रोध और वहाँ के मछुआरों का जम्बुद्वीप में प्रवास माध्यमों का विषय था।

मात्स्यकी सेक्टर में आपूर्ति, प्रौद्योगिकी और विपणन में हुए कुछ व्यापक परिवर्तन भी इस प्रवास के कारक हैं जिसकी झलक भारत के पूर्वी तट के कई भागों में पडती है। इन परिवर्तनों ने ग्रामीण एवं घरेलू आर्थिकता पर भी गहरा प्रभाव डाला और पुरुष और महिलाओं को अन्य सेक्टरों एवं भागों में काम की तलाश में जाने के लिए प्रेरित किया।

मत्स्यन उद्योगों में नावों के कार्मिकों के रूप में या आनाय प्रचालन के कार्य में श्रमिकों के रूप में प्रमुखतः प्रवास आन्ध्रा प्रदेश के श्रीकाकुलम से हुआ था।

प्रवास का इतिहास

1970 के वर्षों में आन्ध्रा प्रदेश की मात्स्यिकी, मत्स्यन उद्योग के आधुनिकीकरण और तद्वारा मछुआरों के जीवन में हुई प्रगति का गवाह बन गई थी। इसका प्रमुख कारण झींगों को लक्ष्य करते हुए किये आनाय प्रचालन था। लेकिन वर्ष 1990 तक इस स्थिति में बदलाव आ गया और आय भी कम होने लगा था जो मछुआरों को राज्य छोडकर रोज़गार की तलाश में प्रवास करने के लिए मज़बूर कर दिया था।

आन्ध्रा प्रदेश के नौ गरीब तटीय जिलाओं में एक है श्रीकाकुलमा। यहाँ के मछुए

समाज की मुख्य धारा से अलग किये गये टुकडे है। ये क्षेत्र चक्रपात जैसे प्राकृतिक संकटों से हमेशा पीडित रहते है। इसके अतिरिक्त मौसमिक बेरोज़गारी और असफल मत्स्यन मौसम भी इन क्षेत्रों में साधारण है। गरीबी, बेरोज़गारी, तुच्छ आय, उच्च बाध्यताएं और आजीविका के अतिरिक्त मार्ग की कमी से पीडित यहाँ के लोगों को आजीविका के लिए प्रवास के सिवाय और कोई भी रास्ता नहीं थी। इस जिले के 50% या 15,000 मछुए गुजरात, महाराष्ट्र और गोआ में प्रवास किए प्रमुखतः आनायकों में काम करने के लिए (नायक और विजयन, 2003)।

गुजरात में प्रवासियों की स्थिति

गुजरात राज्य, देश की तट रेखा में 20% और 2,00,000 वर्ग मीटर की अनन्य आर्थिक मेखला के साथ अखिल भारतीय समुद्री मछली उत्पादन में सर्वप्रथम स्थान पर है। देश के कोन्टिनेन्टल शेल्फ का 33% इस राज्य में है। इस राज्य में 44 मत्स्यन पोताश्रय हैं, जिनमें से 12 माध्यम और शेष छोटे पोताश्रय हैं। इस राज्य की मछुआरों की जनसंख्या लगभग 4.9 लाख है जिन में 1.7 लाख मत्स्यन और संबंधित कार्यों में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। यहाँ 18,635 यंत्रीकृत नाव उपलब्ध है जिनमें 7402 आनायक, 3082 गिलजाल प्रचालक; 6390 फाइबर ग्लास नाव और 263 ओ बी एम के लकडी से निर्मित डोंगियाँ और 1498 डोल जाल प्रचालक (एनोन, 2005) होते हैं।

अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात जहाँ मछली प्रमुख खाद्य है, की मात्स्यिकी वाणिज्यिक लक्ष्य से चालित होती है। 1960 के वर्षों के मध्य में गुजरात सरकार ने वेरावल पत्तन का विकास किया जो इस तट के मत्स्यन प्रचालनों के लिए काफी सहायक बन गया। बाद में मांग्रोल, पोरबन्दर, द्वारका-रूपेन, जाकू और ओका से आनायन का प्रचालन होने लगा। वेरावल, पोरबन्दर, मांग्रोल और नावीबन्दर के मछुए समुदायों में 'करवा' प्रमुख है। 'मोइला करवा' और 'मोइला कोलिस' वनकबाडा, मडवाड और गोग्ला में प्रमुख मछुवा समुदाय हैं। दक्षिण गुजरात के वल्साद में *मोटाभाइस* प्रमुख समुदाय है। *मोलियास* के विपरीत *कड़वास* प्रमुखतः तटीय प्रबन्धक हैं और ये प्रवासी मज़दूरों को मत्स्यन प्रचालन करने के काम प्रदान करते हैं। गुजरात के पत्तन और अन्य उद्योगों में श्रीकाकुलम मछुआरों के रिश्तेदारों की उपस्थिति उनको गुजरात के मत्स्यन सेक्टर में स्थान पाने में सहायता दी।

1960 से 1990 तक के वर्षों में प्रति वर्ष 9.7% की दर में यंत्रीकृत नावों की बढती और तदनुसार कार्मिकों की बढती के साथ गुजरात के मात्स्यिकी सेक्टर ने तेज़ बढती का अनुभव किया। यह श्रीकाकुलम के मछुआरों के लिए आधुनिकीकरण का लाभ भोगने का उचित समय था। इसके ऊपर नियमित मासिक वेतन सुरक्षा भी अधिकाधिक मछुआरों को गुजरात की ओर आकर्षित करने का कारण बन गया और 1990 के वर्षों में गुजरात में प्रवासियों की संस्था काफी बढ़ गयी, जब तक स्थानीय मत्स्यन में अस्थिरता होने लगी थी।

लेकिन उस समय तक स्वयं गुजरात की मात्स्यिकी गिरने लगी थी। प्रयास बढ़ाने पर भी पकड कम हो गयी थी और इस स्थिति से बचने के लिए एक या दो दिनों के मत्स्यन कार्यक्रमों को आठ या इससे भी ज्यादा दिनों तक जारी करना पडा जिससे प्रचालन लागत भी बढ गयी थी। प्रायः सभी प्रकारों की मछलियों की पकड दर में देखी गयी घटती ने मत्स्यन आनायकों की संख्या बढाने की प्रेरणा दी। वर्ष 2001 से कई नावों का प्रचालन चार या पाँच महीनों तक सीमित हो गया। नावों के मरम्मत और अनुरक्षण भी शक्य नहीं था। इसलिए मालिकों को छोटे इंजन क्षमता की छोटी नावों को स्वीकार करना पडा जो लंबी मत्स्यन यात्रा के लायक थी और वेतन भी कम देना था। श्रीकाकुलम के प्रवासियाँ किसी भी शर्त पर किसी भी स्थिति में काम करने के लिए तैयार थे जो गुजरात के लिए लाभदायक था और उन्होंने प्रवासियों को बडी संख्या में एवं कम वेतन में काम में लगा दिया।

काम का स्वरूप

गुजरात में मत्स्यन काम के लिए प्रवास किए एक तिहाई लोग श्रीकाकुलम के थे और आनायन मात्स्यिकी में उनकी प्रमुखता देखी गयी। अतः यह मात्स्यिकी पूर्णतया उन पर निर्भर

थी। वेरावल, मांग्रोल पोरबन्दर और ओका से 75% आनाय प्रचालन होता था। एक आनायक में एक टान्डेल, एक सहायक टान्डेल और छह कार्मिक (जिनको खलासी कहते हैं जिनमें से एक रसोइया का काम करता है) होते है। इनमें प्रमुख टान्डेल जो समुद्र और तट में काम का मोनिटरन करता है। सेठ (नाव मालिक) द्वारा टान्डेल की नियुक्ति के बाद कार्मिकों की नियुक्ति सहित सारा काम वह निभाता है। कार्मिक दलों को वेतन देना भी उनका काम है जो सेठ और कार्मिकों के बीच की कडी रहती है। गुजरात में प्रवास के बाद प्रायः पूरा समय ये नाव में ही रहकर मत्स्यन में लगे रहते हैं।

गुजरात का सक्रिय मत्स्यन मौसम सितंबर से मई तक की अवधि है। मौसम की शुरुवात में टान्डेल अपने सेठ लोगों से कुछ रुपए (50,000 से 1,00,000) लेते हैं और कार्मिकों के चयन के लिए गाँवों में आते हैं। साधारणतया उन्हीं लोगों का चयन किया जाता है जिन से कुछ बाधा के बिना मत्स्यन चालन साध्य होता है।

अपना मत्स्यन अनुभव और सेठ के साथ मेल-मिलाप के अनुसार टान्डेल प्रति मास 10,000 से 14,000 उपए तक कमाता है। टान्डेल के वतन में वार्षिक वृद्धि भी होती है। सहायक टान्डेल का प्रतिमास अर्जन 4,000-6,000 के बीच होता है पर उनके वेतन में वार्षिक वृद्धि नहीं है। खलासी और रसोइया वार्षिक वृद्धि के बिना प्रति मास 2,200/- रु. का वेतन पाते हैं। नब्बे के दशक के मध्य वर्षों की तुलना में औसत वेतन में गिरावट प्रकट था जिसका असली प्रभाव खलासियों में पडा था।

पाकिस्थानी जलक्षेत्रों में अनजाने से या अधिक पकड के मोह में पडकर भ्रमण करने के लिए हर वर्ष बडी संख्या के मछुआरों को जेल जाना पडता है। इन जेल छुडाने की क्रियाविधि - 'एक्सचेंज प्रोटोकोल' बहुत ही लंबी और श्रमकर होती है। जेल में बन्द कुछ मछुए श्रीकाकुलम से है।

प्रवास का प्रभाव

प्रवास हमेशा लाभकर नहीं है। एक आजीविका स्थापित करने की लागत प्रायः उच्च होती है। प्रवास से मौजूदा संरक्षण व्यवस्था में भंग हो जाता है, शक्य सुरक्षा जालों का नाश होता है और नये तल में निर्णय लेने में भागीदारिता सीमित या शून्य बन जाती है।

भारी संख्या में पुरुषों का प्रवास स्थानीय सामाजिक और राजनीतिक अवस्था में हलचल खडा करता है, जिसका प्रभाव दीर्घकालिक होता है। सरकारी कार्यक्रमों और संपदाओं के वितरण के समय स्थानीय लोग अवणित हो जाते है।

पुरुषों के प्रवास के फलस्वरूप घर में स्त्रियों का आधिपत्य हो जाता है। ये अधिक संवेदनशील होने के कारण चूषण के पात्र बन जाती हैं और ये मानसिक पीडा और एकाकीपन से विवश बन जाती है।

विचार-विनिमय सुविधा की कमी स्त्रियों को अपने पतियों से संपर्क करने का अवसर मिटाकर उनको दुखी बना देती है। सूचना मिलने की एक मात्र कडी टान्डेल है। प्राकृतिक विपत्तियों के समय विचार-विनिमय की कमी का प्रभाव तीव्र बन जाता है।

घर से दीर्घ अवधि की अनुपस्थिति पुरुषों को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करती है जो एयड्स जैसे मारक रोगों के लिए निदान बन जाता है।

सुधार के लिए निर्देश

गरीब तटीय समुदायों में प्रवास आजीविका के लिए एक अनिवार्य घटक है। प्रवास के वजह से राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सरकारी नीतियों में उभर कर आयी समस्याओं को पहचानना है और सरकार की विकास योजनाओं में उन्हें जोडना अनिवार्य है।

नीति निर्माण में प्रवासियों की सक्रिय भागीदारी उनके मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।

ग्रामीण उद्यम विकास जैसे बेहत्तर पहलुओं पर प्रकाश डालकर उन्हें आगे बढ़ाना और किनारे करने की प्रवृत्ति या असुक्षा जैसे पहलुओं को मिटाने की नीति होनी चाहिए।

नियमित और प्रभावी बनाने का प्रयोग करना चाहिए ताकि गरीबों की मूल आवश्यकताएं पूरी हो जाएं।

न्यूनतम वेतन का आश्वासन देने, काम के घंटे नियत करने, स्वास्थ्य और अन्य हितों के लिए प्रवासी मछुआरों को श्रम अधिनियमों के अधीन लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

लघु अवधि की उधार व्यवस्था, काम के अवसरों का अन्वेषण या विकास, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, खाद्य सुरक्षा, प्रवासी लोगों और घरवालों के बीच विचार विनिमय की सुविधा आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रवासियों की प्रगति के लिए बढ़ती जाने वाली प्रवास प्रवणता पर संस्थानीय स्तर पर पता लगाना चाहिए।

समापन

मात्स्यिकी में जीवसंख्या पहलुओं को उतनी प्रमुखता नहीं दी जाती है। कभी कभी मत्स्यन समुदाय की बढ़ती को मात्स्यिकी संपदाओं के अतिविदोहन और तटीय पर्यावरण की अवनति के योगदाता भी कहा जाता है। अतः मत्स्यन समुदायों के समाज-जनसांख्यिकी और तद्वारा उत्पन्न परिवर्तनों पर कम ध्यान ही दिया जाता है। मात्स्यिकी संपदाओं के विदोहन और तटीय पर्यावरण पर इन परिवर्तनों का प्रभाव पर भी जानकारी नगण्य है। जनसंख्या, शिक्षा कार्यक्रमों और स्वास्थ्य और समाज कल्याण कार्यक्रमों में उनके अधिकार पर कम ध्यान ही दिया जाता हैं।

प्रवास की गतियों पर ठीक जानकारी की अनुपस्थिति के कारण विकास की प्रक्रिया में प्रवास का स्थान नीति निर्माताओं द्वारा विचार किये बिना छोडा जाता है। विस्तृत विकासीय प्रक्रमों में प्रवासियों का स्थान और अतिथि और आतिथेय समुदायों की प्रगति के लिए शक्य प्रवास पर जानकारी प्राप्त करना अनिवार्य है।